हिन्दी बुलेटिन

(अर्द्ध वार्षिक बुलेटिन, अंक–22, जुलाई–दिसम्बर, 2025)

संकलन एवं सम्पादन

डॉ. वेद प्रकाश
सहायक निदेशक
प्रभारी (हिन्दी प्रकोष्ठ)

हिन्दी प्रकोष्ठ
राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान
(नीति आयोग, भारत सरकार)
सेक्टर ए–7, संस्थागत क्षेत्र, नरेला, दिल्ली–110040

महानिदेशक की कलम से

राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान के महानिदेशक के रूप में मुझे यह कहने में हर्ष हो रहा है कि राजभाषा विभाग, गृह मन्त्रालय, भारत सरकार के राजभाषाई आदेशों का इस संस्थान में नियमित रूप से अनुपालन और राजभाषा हिन्दी का प्रचार–प्रसार करने का सफल प्रयास किया जा रहा है।

यह उल्लेखनीय है कि इस संस्थान में राजभाषाई आदेशों के अनुपालन का सिलसिला औपचारिक रूप से वर्ष 1999 में संस्थान का संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति के निरीक्षण के बाद से शुरू हुआ। संस्थान में राजभाषाई आदेशों के अनुपालन करवाने के लिए संस्थान में औपचारिक रूप वर्ष 1999 में ही हिन्दी प्रकोष्ठ को गठित किया गया, जिसका प्रबन्धन वर्ष 1999 से ही संस्थान के संकाय सदस्य द्वारा किया जाता रहा है। संस्थान में नियमित हिन्दी पदों के सृजन करने का प्रयास किया जा रहा है। संस्थान की हिन्दी प्रकोष्ठ का यह निरन्तर प्रयास रहता है कि भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में हिन्दी गतिविधियों के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में संस्थान के समस्त अनुसंधान एवं प्रशिक्षण एकांशों, तथा अनुभागों में अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में ही निष्पादित किया जाए।

संस्थान में **हिन्दी बुलेटिन, जुलाई–दिसम्बर, 2025** के इस 22वें संस्करण के प्रकाशन के अवसर पर मैं हिन्दी में कार्य करने वाले संस्थान के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शुभकामनाएं देता हूँ। संस्थान के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से यह भी अनुरोध करता हूँ कि वह सभी संस्थान में अधिक से अधिक कार्य राजभाषा हिन्दी में ही करें जिससे कि संस्थान में हिन्दी के कार्यों को भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित किए गए राजभाषाई लक्ष्य को पूरा किया जाता रहे।

शुभकामनाओं के साथ।

सुरेन्द्र मेहरा
महा निदेशक

दिनांक : 30 जनवरी, 2026

हिन्दी बुलेटिन के 22वें संस्करण के सम्बन्ध में

राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान में राजभाषा (हिन्दी) के सफल कार्यान्वयन से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के निर्धारित एवं नियमित कार्य जैसे–संस्थान में हिन्दी की प्रगति से सम्बन्धित विभिन्न रिपोर्टें तैयार करना, हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन करना, हिन्दी पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, हिन्दी दिवस का आयोजन करना, तथा संस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवश्यक राजभाषाई हिन्दी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, आदि–आदि, महत्वपूर्ण हैं। संस्थान में हिन्दी प्रकोष्ठ में अकादमिक गतिविधि के रूप में हिन्दी बुलेटिन तैयार करने की परम्परा की शुरूआत वर्ष 2015 में की गयी और इसके पहले अंक को सफलतापूर्वक जारी किया गया।

यह उल्लेखनीय होगा कि संस्थान में राजभाषा विभाग, गृह मन्त्रालय, भारत सरकार के राजभाषाई आदेशों का अनुपालन सुनिशित करने एंव राजभाषा हिन्दी का प्रचार–प्रसार करने के उद्देश्य से वर्ष 1999 में गठित की गयी हिन्दी प्रकोष्ठ द्वारा राजभाषा (हिन्दी) के कार्यान्वयन से सम्बन्धित सभी नियमित एव पूर्णकालिक राजभाषाई गतिविधियों को संस्थान के सकाय द्वारा सफलतापूर्वक निष्पादित किया जा रहा है।

हिन्दी बुलेटिन के निर्धारित विषयों को संस्थान द्वारा वर्ष 2020 में तय किया गया था जिनका अनुपालन करते हुए इस बुलेटिन में संस्थान के परिचय के अलावा संस्थान में जुलाई से दिसम्बर, 2025 की अवधि के दौरान हिन्दी प्रकोष्ठ के चुनिन्दा निर्धारित एव नियमित कार्यों के अलावा संस्थान में राजभाषा (हिन्दी) के कार्यों की प्रगति के रूप में संस्थान में राजभाषा (हिन्दी) में किए गए कार्यों का ब्यौरा तथा संस्थान के हिन्दी बुलेटिन का प्रकाशन; संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिन्दी भाषा प्रशिक्षण;संस्थान में हिन्दी पखवाड़ें और हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन; हिन्दी पखवाड़ें के दौरान आयोजित की गयी हिन्दी प्रतियोगिताओं के विजेता; संस्थान में हिन्दी दिवस कार्यक्रम वर्ष 2025 का आयोजन; संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति बैठक का आयोजन; संस्थान में हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन; आदि राजभाषाई गतिविधियों की जानकारी को हिन्दी बुलेटिन के इस 22वें अंक में प्रकाशन के लिए सम्मिलित किया गया है।

डॉ वेद प्रकाश
सहायक निदेशक
एवं प्रभारी (हिन्दी प्रकोष्ठ)

दिनांक : 30 जनवरी, 2026

विषय–सूची

कम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	संस्थान का परिचय	5
2	संस्थान में राजभाषा (हिन्दी) में किए गए कार्यों का ब्यौरा–एक समीक्षा	6
	(क) राजभाषा नियमों के अनुसार भारतगण राज्य के राज्यों एवं केन्द्र शासित राज्यों का भाषा के आधार पर विभाजन	6
	(ख) राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अन्तर्गत जारी किए कागजात	6
	(ग) राजभाषा नियम–5 का अनुपालन	6
	(घ) अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाने की स्थिति	6
	(ड़) संस्थान से भेजे गए मूल पत्रों का ब्यौरा	6
	(च) फाईलों/ दस्तावेजों पर लिखी गई टिप्पणियों का ब्यौरा	7
	(छ) ई–ऑफिस फाईलों में लिखी गयी टिप्पणियाँ	7
3	संस्थान के हिन्दी बुलेटिन का प्रकाशन	7
4	संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिन्दी भाषा प्रशिक्षण	7
5	संस्थान में हिन्दी पखवाड़ें और हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन	8
6	हिन्दी पखवाड़ें के दौरान आयोजित की गयी हिन्दी प्रतियोगिताओं के विजेता	8
	(क) सरकारी कामकाज (टिप्पण/आलेखन) में मूल हिंदी टिप्पणी लेखन के लिए राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित प्रोत्साहन योजना	8
	(ख) संस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में सरकार की राजभाषा हिन्दी के प्रति उत्साह एवं रूझान को बनाए रखने के लिए आयोजित की गयी प्रतियोगिताएं	8
7	संस्थान में हिन्दी दिवस कार्यक्रम वर्ष 2025 का आयोजन	9
8	हिन्दी पखवाड़ें के दौरान आयोजित की गयी हिन्दी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को संस्थान में हिन्दी दिवस कार्यक्रम में पुरस्कार वितरण के छांयाचित्र	10
9	नराकास दक्षिण दिल्ली–2 के सदस्य कार्यालयों द्वारा आयोजित हिन्दी कार्यशाला में उपस्थिति	12
10	संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024–2025 एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हिन्दी अनुवाद	13
11	संस्थान के मंत्रालय नीति आयोग की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में उपस्थिति	13
12	संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति का पुर्नगठन	14
13	संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति बैठक का आयोजन	14
14	संस्थान में हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन	17
15	नराकास की बैठक में उपस्थिति	20

संस्थान का परिचय

संस्थान की स्थापना वर्ष 1962 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च के नाम से की गई थी। वर्ष 1999 में संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण से पूर्व संस्थान के प्रचलित नाम इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैनपावर रिसर्च का हिन्दी अनुवाद जनसाधन अनुसंधान संस्थान किया गया। वर्ष 2014 में 9 जून, 2014 को इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (राश्रअअविस) रख दिया गया।

संस्थान की सजीवता को दर्शाने वाला संस्थान के प्रवेश द्वार का फोटो

संस्थान का मुख्य रूप से वित्त पोषण नीति आयोग से प्राप्त सहायता अनुदान से होता है तथा विभिन्न मंत्रालयों एवं बहुपक्षीय संगठनों से प्राप्त अनुसंधान परियोजनाओं से अपने स्वयं के राजस्व द्वारा अनुपूरक किया जाता है, जो कि विदेश मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित शिक्षा और प्रशिक्षण गतिविधियों से प्राप्त होता है।

संस्थान का प्रशासनिक, प्रबन्धन व कम्प्यूटर ब्लॉक (बाहर से)

जुलाई, 2025 से दिसम्बर, 2025 की अवधि के दौरान संस्थान में राजभाषा (हिन्दी) के कार्यों की प्रगति

संस्थान में राजभाषा (हिन्दी) में किए गए कार्यों का ब्यौरा–एक समीक्षा

राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम वर्ष 2025–2026 में वर्णित राजभाषा हिन्दी के लिए निर्धारित कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर संस्थान के सभी एकांशों और अनुभागों से सूचनाएं एकत्र की जाती हैं। संकलित की गयी सूचनाओं को राजभाषा विभाग के वैबपोर्टल पर तिमाही प्रगति रिपार्ट के प्रफोर्मा में ऑनलाईन भरा जाता है।

(क) राजभाषा नियमों के अनुसार भारतगण राज्य के राज्यों एवं केन्द्र शासित राज्यों का भाषा के आधार पर विभाजन

'क' क्षेत्र– हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़, दादर एवं नागर हवेली, और अण्डमान निकोबार।

ख' क्षेत्र– पंजाब, चण्डीगढ़, महाराष्ट्र, और गुजरात।

ग' क्षेत्र– उपरोक्त 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों में वर्णित राज्यों एवं केन्द्र शासित राज्यों के अलावा शेष सभी।

(ख) राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अन्तर्गत जारी किए कागजात

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अन्तर्गत इस बुलेटिन की अवधि जुलाई से दिसम्बर, 2025 के दौरान राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अन्तर्गत कुल 204 कागजात जारी किए गए जो सभी द्विभाषी रूप में जारी किए गए।

(ग) राजभाषा नियम–5 का अनुपालन

राजभाषा नियम–5 के अनुसार जनवरी से जून, 2025 की सूचनाओं वाले बुलेटिन की अवधि के दौरान संस्थान में हिन्दी में 2 पत्र प्राप्त नहीं हुए, और सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया गया।

(घ) अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाने की स्थिति

'क' क्षेत्र से जुलाई से दिसम्बर, 2025 की अवधि के दौरान संस्थान को अंग्रेजी में केवल 14 पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 10 पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया तथा 4 पत्रों का उत्तर दिया जाना अपेक्षित नहीं था।

'ख' क्षेत्र से इस बुलेटिन की अवधि के दौरान संस्थान को कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

(ड़) संस्थान से भेजे गए मूल पत्रों का ब्यौरा

'क' क्षेत्र को जुलाई से दिसम्बर, 2025 की अवधि के दौरान संस्थान से 'क' क्षेत्र को कुल 70 पत्र भेजे गए जो सभी हिन्दी में भेजे गए जिससे इस छमाही में हिन्दी/द्विभाषी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत 100 हो गया, जिससे संस्थान को राजभाषा विभाग के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में सफलता प्राप्त हो सकी।

'ख' क्षेत्र को जुलाई से दिसम्बर, 2025 की अवधि में संस्थान से 'ख' क्षेत्र को कुल 1 पत्र भेजा गया जो हिन्दी में ही भेजा गया जिससे इस छमाही में हिन्दी/

द्विभाषी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत 100 हो गया। इस सम्बन्ध में राजभाषा विभाग के निर्धारित लक्ष्य को संस्थान द्वारा पूरा किया जा सका।

'ग' क्षेत्र को — इस बुलेटिन की संस्थान से 'ख' क्षेत्र को कुल 9 पत्र भेजे गये जो सभी हिन्दी/ द्विभाषी में थे, जिससे इस छमाही में हिन्दी/ द्विभाषी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत 100 हो गया, तथा संस्थान में राजभाषा विभाग के निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया किया जाना सम्भव हो सका।

(च) फाईलों/ दस्तावेजों पर लिखी गई टिप्पणियों का ब्यौरा

संस्थान में इस बुलेटिन की कुल टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या 482 रही, जिनमें हिन्दी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या 391 (81.12 प्रतिशत) तथा अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या 91 (18.88 प्रतिशत) रही। जिससे संस्थान में राजभाषा विभाग के निर्धारित लक्ष्य (80 प्रतिशत) को पूरा किया किया जाना सम्भव हो सका।

(छ) ई–ऑफिस फाईलों में लिखी गयी टिप्पणियाँ

संस्थान में फाइलों में कार्य ई–ऑफिस में किया जाता है। इस बुलेटिन की छमाही अवधि जुलाई से दिसम्बर, 2025 के दौरान ई–ऑफिस में कार्य करते हुए ई–ऑफिस फाईलों में कुल टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या 457 पायी गयी। संस्थान की हिन्दी प्रकोष्ठ की सभी फाइलों में ई–ऑफिस में ही कार्य किया जाता है।

संस्थान के हिन्दी बुलेटिन का प्रकाशन

संस्थान में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन से सम्बन्धित सूचनाओं का प्रचार–प्रसार करने के लिए संस्थान की हिन्दी प्रकोष्ठ द्वारा तैयार किए गए और संस्थान के महानिदेशक द्वारा अनुमोदित किए गए संस्थान के अर्द्धवार्षिक बुलेटिन के अंक–21, जनवरी से जून, 2025 का प्रकाशन किया गया। संस्थान के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी में लाने के लिए उक्त हिन्दी बुलेटिन के 21वें अंक का वितरण किया गया तथा संस्थान के उक्त हिन्दी बुलेटिन के 21वें अंक को संस्थान की वैबसाईट पर भी अपलोड किया गया।

संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिन्दी भाषा प्रशिक्षण

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 23 जून, 2025 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार संस्थान के हिन्दी भाषा प्रशिक्षण के लिए शेष सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान से भाषा प्रशिक्षण के वर्ष 2025–2026 वाले सत्र में हिन्दी भाषा प्रशिक्षण के लिए प्राईवेट प्रशिक्षार्थी के रूप में नामित किया गया, तथा संस्थान के उक्त भाषा प्रशिक्षण के लिए सभी नामित किए गए अधिकारियों/कर्मचारियों, नामत: श्री जैरी जोसफ, सहायक निदेशक; डॉ. डी इन्द्रकुमार, उप निदेशक; डॉ. चैताली रॉय, सहायक निदेशक; श्रीमति शर्मिष्ठा सिन्हा, उप निदेशक; एवं डॉ. तापस कुमार सारंगी, सहायक निदेशक का हिन्दी भाषा प्रशिक्षण के लिए प्राईवेट प्रशिक्षार्थी के रूप में पंजीकरण हो गया है, और उक्त सभी नामित किए गए सभी अधिकारी/कर्मचारी भाषा प्रशिक्षण ले रहे हैं।

हिन्दी भाषा प्रशिक्षण के नामितों के लिए केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 तक भेजी गयी पाठ्य सामग्री की 1$^{ली}$–5$^{वीं}$ किट संस्थान के सभी प्रशिक्षार्थियों को प्रदान कर दी गयी है।

संस्थान में हिन्दी पखवाड़ें और हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन

संस्थान में दिनांक 15 से 30 सितम्बर, 2025 की अवधि के दौरान हिन्दी पखवाड़ें का आयोजन किया गया। हिन्दी पखवाड़ें की अवधि के दौरान संस्थान में हिन्दी की विभिन्न प्रकार की निम्नलिखित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया–

(क) हिन्दी टिप्पण और आलेखन (सभी के लिए)
(ख) हिन्दी श्रृति लेखन (केवल एमटीएस हेतु)
(ग) राजभाषा ज्ञान प्रश्नोत्तरी (सभी के लिए)
(घ) हिन्दी अनुवाद : अंग्रेजी से हिन्दी (सभी के लिए)
(ड़) सरकारी कामकाज में हिंदी टिप्पणी लेखन
(च) संस्थान के अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिटेक्शन देना (हिन्दी आशुलिपिक की सहायता प्राप्त प्रत्येक अधिकारी के लिए)

उपरोक्त वर्णित सभी प्रतियोगिताओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने के लिए मूल रूप से राजभाषा विशेषज्ञों नामतः सर्वश्री सूरज प्रकाश बडगूजर, परामर्शदाता (राजभाषा), हिन्दी अनुभाग, नीति आयोग, नई दिल्ली तथा श्री आशाराम, सहायक निदेशक (पूर्व में प्रध्यापक), केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। उक्त मूल्यांकन समिति में प्रभारी (हिन्दी प्रकोष्ठ) की प्रबंधकीय भूमिका रही।

हिन्दी पखवाड़ें के दौरान आयोजित की गयी हिन्दी प्रतियोगिताओं के विजेता

(क) सरकारी कामकाज (टिप्पण/आलेखन) में मूल हिंदी टिप्पणी लेखन के लिए राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित प्रोत्साहन योजना

क्रम संख्या	प्रतियोगिता का नाम	पुरस्कार	नकद पुरस्कार राशि (रूपये)	पुरस्कार विजेता का नाम
1	सरकारी काम मूल रूप से हिंदी में करना	दूसरा पुरस्कार (3)	3000 रूप्ये	1) डॉ. रूबी धर 2) श्री तेजपाल सिंह 3) श्री यश पाल वर्मा

(ख) संस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में सरकार की राजभाषा हिन्दी के प्रति उत्साह एवं रूझान को बनाए रखने के लिए आयोजित की गयी प्रतियोगिताएं

क्रम संख्या	प्रतियोगिता का नाम	पुरस्कार	नकद पुरस्कार राशि (रूपये)	पुरस्कार विजेता का नाम
1	हिन्दी टिप्पण और आलेखन (सभी के लिए)	प्रथम द्वितीय तृतीय	2000 1500 1000	श्री देवेन्द्र कोहाड श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता श्रीमती नीरू अरोड़ा
2	हिन्दी अनुवाद : अंग्रेजी से हिन्दी (सभी के लिए)	प्रथम द्वितीय	2000 1500	डॉ. रूबी धर श्रीमती सुखविन्दर कौर
3	राजभाषा ज्ञान प्रश्नोत्तरी (सभी के लिए)	प्रथम द्वितीय तृतीय	2000 1500 1000	डॉ. (श्रीमती) चैताली रॉय श्रीमती मीनाक्षी माथुर श्री ओंकार सिंह
4	हिन्दी श्रृति लेखन (केवल एमटीएस हेतु)	प्रथम द्वितीय तृतीय	2000 1500 1000	श्री उमा शंकर गौण्ड श्री (मौ.) असलम श्री किशोर कुमार

संस्थान में हिन्दी दिवस कार्यक्रम वर्ष 2025 का आयोजन

प्रत्येक वर्ष की तरह वर्ष 2025 में दिनांक 10 नवम्बर को संस्थान के सभागार में हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया। हिन्दी पखवाड़ें की अवधि के दौरान आयोजित की गयी सभी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को उनके पुरस्कारों का वितरण हिन्दी दिवस के दौरान किया गया।

नीति आयोग के हिन्दी अनुभाग के परामर्शदाता (राजभाषा) श्रीमान् सूरज प्रकाश बडगूजर जी को इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया तथा श्रीमान् आशा राम, सहायक निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, राजभाषा नीति विशेषज्ञ को अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। हिन्दी दिवस कार्यक्रम का संचालन और कार्यक्रम की अध्यक्षता का कार्य डॉ. वेद प्रकाश, सहायक निदेशक एवं प्रभारी (हिन्दी प्रकोष्ठ) द्वारा किया गया। संस्थान के सभी अधिकारियों एवं सभी कर्मचारियों ने बड़े उत्साह से हिन्दी दिवस कार्यक्रम में भाग लिया।

हिन्दी दिवस कार्यक्रम की शुरूआत में ही प्रभारी (हिन्दी प्रकोष्ठ) द्वारा संस्थान में राजभाषा हिन्दी की शुरूआत और संस्थान में उसका विकाय तथा संस्थान में आज की स्थिति के अनुसार राजभाषा हिन्दी के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी; जिसमें बताया गया गया कि संसदीय राजभाषा समिति के द्वारा वर्ष 1999 में निरीक्षण होने के बाद संस्थान को राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 10 (4) के अंतर्गत दिनांक 29 नवम्बर, 1999 को अधिसूचित किया गया तथा राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 8(4) के अनुसरण में संस्थान के समस्त अधिकारी/कर्मचारी जो हिन्दी भाषा में प्रवीणता प्राप्त हैं, उनके द्वारा अपना सरकारी कामकाज मूल रूप से हिन्दी में करने के लिए आवश्यक किया गया। संसदीय राजभाषा समिति द्वारा वर्ष 1999 में किए गए निरीक्षण के बाद से संस्थान का वर्ष 2006, 2015, 2018, 2019, तथा 2021 में 5 और निरीक्षण किए गए। संस्थान में राजभाषा हिन्दी की गतिविधियों को राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम वर्ष 2025–2026 के अनुसार सुचारू रूप से सम्पन्न किया जा रहा है।

हिन्दी दिवस कार्यकम के दौरान हिंदी दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं नीति आयोग के हिन्दी अनुभाग के प्रभारी तथा परामर्शदाता (राजभाषा) श्रीमान् सूरज प्रकाश बडगूजर जी ने सम्बोधित किया और राजभाषा हिन्दी से जुड़े उनके जीवन के अनुभवों के बारे में बताया। श्रीमान् आशा राम जी ने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के हिन्दी संदेश से हम सब को अवगत कराया और और राजभाषा हिन्दी से जुड़े उनके कार्य के अनुभवों से सम्बन्धित जानकारी अवगत कराया।

हिन्दी दिवस कार्यकम में मंच पर उपस्थित डॉ. वेद प्रकाश, हिन्दी दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान् सूरज प्रकाश बडगूजर जी, तथा अतिथि श्रीमान् आशा राम जी

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान् सूरज प्रकाश बडगूजर जी सम्बोधित करते हुए

हिन्दी दिवस कार्यक्रम का संचालन करते हुए डॉ. वेद प्रकाश, सहायक निदेशक एवं प्रभारी (हिन्दी प्रकोष्ठ)

गृह मंत्री जी के हिन्दी संदेश से अवगत कराते हुए हिन्दी दिवस कार्यक्रम के अतिथि श्रीमान् आशा राम जी

भारत सरकार के मंत्रीमंडल सचिव श्री टी वी सोमानाथन, तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दक्षिण दिल्ली–2 के अध्यक्ष एवं भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक श्री हरि रंजन राव, आई ए एस की ओर से संस्थान को हिन्दी संदेश प्राप्त हुए जिन्हें संस्थान के सूचना पट्ट पर लगा दिया गया।

हिन्दी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को दिए जाने वाले उनके पुरस्कारों की घोषणा हिन्दी प्रकोष्ठ के प्रभारी डॉ. वेद प्रकाश, सहायक निदेशक द्वारा की गयी और पुरस्कारों का वितरण संयुक्त रूप से श्रीमान् सूरज प्रकाश बडगूजर जी एवं श्रीमान् आशा राम जी ने किया। हिन्दी दिवस कार्यक्रम की व्यवस्था श्री देवेन्द्र कोहाड़, सहायक अनुभाग अधिकारी की गयी।

हिन्दी पखवाड़ें के दौरान आयोजित की गयी हिन्दी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को संस्थान में हिन्दी दिवस कार्यक्रम में पुरस्कार वितरण के छांयाचित्र

पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री तेज पाल सिंह

पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री यशपाल वर्मा

पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री देवेन्द्र कोहाड

पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता

पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्रीमती नीरू अरोड़ा

पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्रीमती सुखविन्दर कौर

पुरस्कार प्राप्त करते हुए डॉ. रूबी धर

पुरस्कार प्राप्त करते हुए डॉ. रूबी धर

पुरस्कार प्राप्त करते हुए डॉ. चैतली रॉय

पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्रीमती मीनाक्षी माथुर

पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री ओकार सिंह

पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री उमा शंकर

पुरस्कार प्राप्त करते हुए मौ. असलम

पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री किशारे कुमार

हिन्दी दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान् सूरज प्रकाश बडगूजर जी के साथ हिन्दी प्रकोष्ठ के प्रभारी डॉ. वेद प्रकाश और हिन्दी दिवस कार्यक्रम के अतिथि श्रीमान् आशा राम जी एवं संस्थान के अधिकारी एवं कर्मचारी

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति दक्षिण दिल्ली–2 के सदस्य कार्यालयों द्वारा आयोजित हिन्दी कार्यशाला में उपस्थिति

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) अध्यक्ष कार्यालय भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा दिनांक 29–07–2025 को नराकास, दक्षिण दिल्ली –2 के समस्त सदस्य कार्यालयों को यह निदेश दिए गए थे अपने कार्यालयों में होने वाली कार्यशालाओं में नराकास दक्षिण दिल्ली–2 के सदस्य कार्यालयों को शामिल किया जाएं तथा इसकी सूचना अध्यक्ष कार्यालय को छायाचित्र के साथ भेजी जाएं।

उक्त आदेश का अनुपालन करते हुए नराकास दक्षिण दिल्ली–2 के निम्नलिखित सदस्य कार्यालयों द्वारा उनके कार्यालयों आयोजित की गयी हिन्दी कार्यशालाओं में डॉ. वेद प्रकाश, सहायक निदेशक, एवं प्रभारी (हिन्दी प्रकोष्ठ) ऑनलाईन रूप से जुड़े–

(क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो कार्यालय द्वारा दिनांक 06–08–2025 एवं 12–11–2025 को हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया;

(ख) परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय कार्यालय द्वारा दिनांक 21–08–2025 को हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया; और

(ग) बल मुख्यालय, सशस्त्र सीमा बल, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 18–09–2025 तथा दिनांक 16–12–2025 को हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024–2025 एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हिन्दी अनुवाद

संस्थान की हिन्दी प्रकोष्ठ द्वारा संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024–2025 का हिन्दी अनुवाद किया गया। संस्थान के उक्त वार्षिक प्रतिवेदन के हिन्दी टंकण के कार्य को भी संस्थान की हिन्दी प्रकोष्ठ द्वारा किया गया। संस्थान के उक्त वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024–2025 के हिन्दी अनुवाद का पुनरीक्षण का कार्य राजभाषा विशेषज्ञ नीति आयोग के हिन्दी अनुभाग के परामर्शदाता (राजभाषा) श्रीमान् सूरज प्रकाश बडगूजर द्वारा किया गया।

संस्थान के उक्त वार्षिक प्रतिवेदन को संसद में प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य संस्थान की प्रगति रिपोर्ट वर्ष 2024–2025 तथा संस्थान की समीक्षा रिपोर्ट वर्ष 2024–2025 का हिन्दी अनुवाद की हिन्दी प्रकोष्ठ द्वारा किया गया एवं पुनरीक्षण का कार्य उक्त श्रीमान् सूरज प्रकाश बडगूजर द्वारा किया गया।

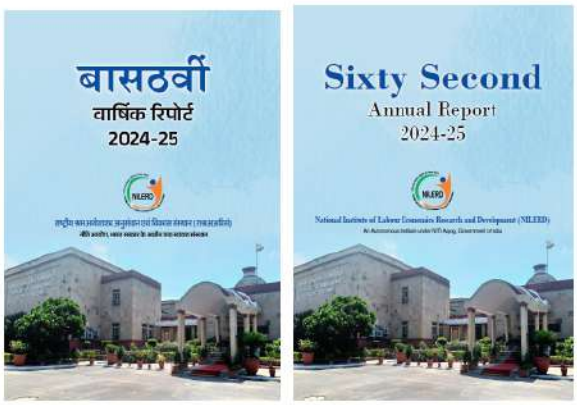

संसद में प्रस्तुत किए गए संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024–2025 के आवरण पृष्ठ

संस्थान के मंत्रालय नीति आयोग की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में उपस्थिति

माननीय मंत्री महोदय, योजना मंत्रालय की अध्यक्षता में नीति आयोग, योजना मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 04 दिसम्बर, 2025 को नीति भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली में किया गया जिसमें डॉ. वेद प्रकाश, सहायक निदेशक, एवं प्रभारी (हिन्दी प्रकोष्ठ) उपस्थित हुए।

नीति आयोग, योजना मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक के अध्यक्ष माननीय मंत्री महोदय के साथ बैठक में उपस्थित होने वाले सभी सदस्य

नीति आयोग, योजना मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में उपस्थित डॉ. वेद प्रकाश, सहायक निदेशक, एवं प्रभारी (हिन्दी प्रकोष्ठ)

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति का पुर्नगठन

संस्थान (विभागीय/संगठनीय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति का 17 दिसम्बर, 2025 में निम्न प्रकार से पुर्नगठन किया गया–

1.	श्री सुरेन्द्र मेहरा, महा निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री सूरज प्रकाश बड़गूजर, परामर्शदाता (राजभाषा), (हिन्दी अनुभाग), नीति आयोग	राजभाषा विशेषज्ञ
3.	डॉ. वेद प्रकाश, सहायक निदेशक एवं प्रभारी (हिन्दी प्रकोष्ठ)	सदस्य–सचिव
4.	डॉ. रूबी धर, उप निदेशक एवं प्रतिनिधि (प्रशासन अनुभाग)	सदस्य
5.	डॉ. चैताली रॉय, सहायक निदेशक एवं प्रतिनिधि (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण–I)	सदस्य
6.	डॉ. डी इन्द्र कुमार, उप निदेशक एवं प्रतिनिधि (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण–I) एवं (सम्पदा अनुभाग)	सदस्य
7.	श्रीमती सुखविन्दर कौर, प्रलेखन सहायक एवं प्रतिनिधि (पुस्तकालय)	सदस्य
8.	श्री चन्द्र शेखर शर्मा, प्रणाली विश्लेषक एवं प्रतिनिधि (सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग)	सदस्य
9.	श्री गौरव गिल, संयुक्त निदेशक (वित्त) एवं प्रतिनिधि (वित्त अनुभाग)	सदस्य
10.	श्री देवेन्द्र पी कोहाड़, सहायक अनुभाग अधिकारी एवं प्रतिनिधि (भण्डार अनुभाग)	सदस्य
11.	श्री मनीष श्रीवास्तव, सहायक अनुभाग अधिकारी एवं प्रतिनिधि (सामान्य अनुभाग)	सदस्य

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति बैठक का आयोजन

संस्थान (विभागीय/संगठनीय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 को संस्थान के महानिदेशक एवं संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उक्त बैठक की अध्यक्षता समिति के सदस्य–सचिव डॉ. वेद प्रकाश, सहायक निदेशक, एवं प्रभारी (हिन्दी प्रकोष्ठ) द्वारा की गयी। इस बैठक में राजभाषा विशेषज्ञ के रूप में श्रीमान् सूरज प्रकाश बडगूजर, परामर्शदाता (राजभाषा), हिन्दी अनुभाग, नीति आयोग, नई दिल्ली को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया, जिन्होनें उक्त बैठक में विडियो कॉल

से जुड़कर अपनी बात को रखा और अपने राजभाषाई ज्ञान से संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों को लाभान्वित कराया।

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 की बैठक में उपस्थित सदस्यगण

उक्त बैठक में विचारार्थ कुछ विषय एवं उन विषयों पर लिए गए निर्णय इस प्रकार रहे–

1 संस्थान में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अन्तर्गत जारी किए जाने वाले आदेशों, परिपत्रों, आदि को मूल रूप में हिन्दी में जारी किया जाए और अंग्रेजी अनुवाद साथ में जारी किया जाए, इस विषय पर यह निर्णय लिया गया कि ऐसा प्रयास किया जाए कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी किए जाने वाले आदेशों, परिपत्रों, आदि को मूल रूप में हिन्दी में तैयार किया जाए और अंग्रेजी अनुवाद के साथ जारी किया जाए। राजभाषा नियमानुसार संस्थान का केवल वही अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी अनुवाद की मांग कर सकता है जिसे हिन्दी ज्ञान में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अन्तर्गत जारी किए जाने वाले कागजातों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के नाम का उल्लेख किया जाए।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी किए जाने वाले आदेशों, परिपत्रों, आदि पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी तय की गयी।

उल्लेखनीय है कि संस्थान में हिन्दी में कार्य करने के लिए संसदीय राजभाषा समिति द्वारा वर्ष 1999 में संस्थान में किए गए निरीक्षण के बाद संस्थान को राजभाषा नियम 10(4) में अधिसूचित किया गया है।

2 संस्थान में 85 प्रतिशत से ज्यादा अधिकार एवं कर्मचारी हिन्दी भाषी हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, इस मामले पर चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम 2025–2026 के अनुसार संस्थान में राजभाषाई गतिविधियों में वृद्धि करने के लिए– (क) संस्थान में कार्यरत हिन्दी भाषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाए, (ख) संस्थान में हिन्दी में मूल पत्राचार और हिन्दी में टिप्पण लेखन के निर्धारित राजभाषाई वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार लक्ष्य को बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों को बनाए रखा जाए।

3 संस्थान के समस्त अनुसंधान एकांशों एवं अनुभागों में हिन्दी में कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तैनाती की जा सकती है, वाले मुद्दे पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि ऐसा प्रयास किया जाए कि संस्थान के समस्त अनुसंधान एकांशों एवं अनुभागों में ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी तैनात किए जाएं जो राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम 2025–2026 के लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करें।

4 संस्थान के हिन्दी टंकण प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों को संस्थान द्वारा नामित किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि राजभाषा विभाग के केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान से उक्त प्रशिक्षण से सम्बन्धित आवश्यक आदेश जारी होने की स्थिति में संस्थान के हिन्दी टंकण प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों को हिन्दी टंकण प्रशिक्षण के लिए प्राईवेट प्रशिक्षार्थी के रूप में नामित करने की कार्रवाई की जाएगी।

5 संस्थान के हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों को संस्थान द्वारा नामित किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि राजभाषा विभाग के केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान से उक्त प्रशिक्षण से सम्बन्धित आवश्यक आदेश जारी होने की स्थिति में संस्थान के हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों को हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए प्राईवेट प्रशिक्षार्थी के रूप में नामित करने की कार्रवाई की जाएगी।

6 संस्थान के मंत्रालय नीति आयोग के हिन्दी अनुभाग की टीम द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2025 को किए गए राजभाषाई निरीक्षण की समीक्षा रिपोर्ट की टिप्पणी के अनुसार संस्थान के लेखा अनुभाग में फाइल संचालन रजिस्टर में प्रविष्टियां हिन्दी में ही की जा रही हैं।

लेखा अनुभाग में कार्यरत सभी अधिकारी एवं कर्मचारी हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त हैं, अतः लेखा अनुभाग में फाइल संचालन रजिस्टर में प्रविष्टियां हिन्दी में ही करने की व्यवस्था को बनाए रखा जाए।

7 संस्थान के मंत्रालय नीति आयोग के हिन्दी अनुभाग की टीम द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2025 को किए गए राजभाषाई निरीक्षण की समीक्षा रिपोर्ट की टिप्पणी के अनुसार संस्थान के आर टी आई अनुभाग में फाइल संचालन रजिस्टर में प्रविष्टियां हिन्दी में ही की जा रही हैं।

आर टी आई अनुभाग में कार्यरत अधिकारियों को हिन्दी का ज्ञान है, अतः आर टी आई अनुभाग में फाइल संचालन रजिस्टर में प्रविष्टियां हिन्दी में ही करने की व्यवस्था को बनाए रखा जाए।

8 संस्थान के मंत्रालय नीति आयोग के हिन्दी अनुभाग की टीम द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2025 को किए गए राजभाषाई निरीक्षण की समीक्षा रिपोर्ट की टिप्पणी के अनुसार संस्थान के सम्पदा अनुभाग में फाइल संचालन रजिस्टर मे प्रविष्टियां हिन्दी में ही की जा रही हैं।

सम्पदा अनुभाग में कार्यरत अधिकतर अधिकारी एवं कर्मचारी हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त हैं, अतः सम्पदा अनुभाग में फाइल संचालन रजिस्टर में प्रविष्टियां हिन्दी में ही करने की व्यवस्था को बनाए रखा जाए।

9 संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक दिनांक 23 जून, 2025 को हुई जिसमें लिए गए निर्णय के अनुसार संस्थान के मंत्रालय नीति आयोग के हिन्दी अनुभाग की टीम द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2025 को किए गए राजभाषाई निरीक्षण की समीक्षा रिपोर्ट में संस्थान के प्रेषण अनुभाग में पावती रजिस्टर में प्रविष्टियां हिन्दी में ही की जाए।

प्रेषण अनुभाग से सम्बन्धित सभी अधिकारी एवं कर्मचारी हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त हैं, अतः प्रेषण अनुभाग में पावती रजिस्टर में प्रविष्टियां हिन्दी में ही करने की व्यवस्था को बनाए रखा जाए।

10 संस्थान के मंत्रालय नीति आयोग के हिन्दी अनुभाग की टीम द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2025 को किए गए राजभाषाई निरीक्षण की समीक्षा रिपोर्ट की टिप्पणी के अनुसार संस्थान के सामान्य अनुभाग में निर्धारित प्रारूप के अनुसार फाइल संचालन रजिस्टर का रखरखाव किया जाऐगा।

सामान्य अनुभाग में निर्धारित प्रारूप के अनुसार फाइल संचालन रजिस्टर का रखरखाव किया जाए।

11 संस्थान के मंत्रालय नीति आयोग के हिन्दी अनुभाग की टीम द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2025 को किए गए राजभाषाई निरीक्षण की समीक्षा रिपोर्ट की टिप्पणी के अनुसार संस्थान के संस्थान के प्रशासन अनुभाग में वेतन स्तर 10 और ऊपर के अधिकारियों की सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिन्दी में ही की जा रही हैं।

प्रशासन अनुभाग में कार्यरत सभी अधिकारी एवं कर्मचारी हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त हैं, अतः प्रशासन अनुभाग में वेतन स्तर 10 और ऊपर के अधिकारियों की सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिन्दी में ही करने की व्यवस्था को बनाए रखा जाए।

12 केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान से भाषा प्रशिक्षण के वर्ष 2025–2026 वाले सत्र में संस्थान के शेष सभी 5 अधिकारियों/कर्मचारियों, नामतः श्री जैरी जोसफ, सहायक निदेशक; डॉ. डी इन्द्रकुमार, उप निदेशक; डॉ. चैताली रॉय, सहायक निदेशक; श्रीमति शर्मिष्ठा सिन्हा, उप निदेशक; एवं डॉ. तापस कुमार सारंगी, सहायक निदेशक को हिन्दी भाषा प्रशिक्षण में प्राईवेट प्रशिक्षार्थी के रूप में नामित कर दिया गया है। नामित किए गए सभी कर्मचारी भाषा प्रशिक्षण ले रहे हैं।

13 नीति आयोग की हिन्दी सलाहकार समिति की दिनांक 05 मई, 2025 को पुनर्गठित की गई पहली बैठक दिनांक 04 दिसम्बर, 2025 को आयोजित की गयी थी।

उक्त बैठक में चर्चा के दौरान माननीय सांसद महोदय ने कहा कि निलर्ड (संस्थान) द्वारा विज्ञापन और प्रचार पर कुल रू. 19,136/– की धनराशी खर्च की गई, और यह सारी धनराशी अंग्रेजी के विज्ञापन पर खर्च हुई। संस्थान की ओर से प्रस्तुत की गयी उक्त सूचना की अविधि दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से 30 सितम्बर, 2025 तक थी।

संस्थान की ओर से प्रस्तुत की गयी उक्त सूचना में संस्थान के प्रशासन अनुभाग से यह चूक हो गयी कि उल्लेखित की गयी सारी धनराशी अंग्रेजी के विज्ञापन पर ही खर्च हुई। संस्थान के प्रशासन अनुभाग द्वारा अन्य बातों के साथ–साथ राजभाषा विभाग के नियमों का अनुपालन करना चाहिए। आगे से इस मद (विज्ञापनों पर खर्च) पर ध्यान दिया जाएगा और इसे गंभीरता से लिया जाएगा।

14 संसदीय राजभाषा समिति ने संस्थान का वर्ष 1999, 2006, 2015, 2018 2019 (रद्द हो गया) और 2021 में हिन्दी का निरीक्षण किया।

अन्य बातों के साथ साथ उन्होंने बार बार यह बात दोहराई कि संस्थान में अन्य अनुभागों जैसे प्रशासन, संपदा की तरह संस्थान में हिन्दी प्रकोष्ठ के लिए भी अलग से एक कमरा निर्धारित किया जाए जिसमें कि राजभाषा से संबंधित विविध फाइलों, दस्तावेजों का रखरखाव सुरक्षापूर्ण किया जा सके और आवश्यकता पड़ने पर उनका संदर्भ लेने में आसानी हो सके।

इस संबंध में नीति आयोग के हिन्दी अनुभाग द्वारा दिनांक 1–10–2020 को में किए गए राजभाषा निरीक्षण की रिपोर्ट दिनांक 2–12–2020 के नोट–2 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसका संस्थान द्वारा आजतक अनुपालन नहीं किया गया है।

यह उल्लेखनीय है कि संसदीय राजभाषा समिति के द्वारा वर्ष 2021 में किए गए निरीक्षण के संबंध में प्रस्तुत की गई प्रश्नावली में निलर्ड संस्थान द्वारा बताया गया कि संस्थान ने एक सहायक निदेशक को प्रभारी (हिन्दी प्रकोष्ठ) बनाया गया है, तथा उसकी सहायता के लिए एक अन्य सहायक को तैनात किया गया है। किंतु दोनों के केबिन अलग अलग होने से हिन्दी प्रकोष्ठ के लिए निर्धारित स्थान का अभाव प्रतीत होता है।

संस्थान में हिन्दी प्रकोष्ठ के लिए भी अलग से एक कमरा निर्धारित किया जाए जिससे कि राजभाषा से संबंधित विविध फाइलों, दस्तावेजों का रखरखाव सुरक्षापूर्ण रूप से किया जा सके।

संस्थान में हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन

इस बुलेटिन की अवधि जुलाई से दिसम्बर, 2025 छमाही के दौरान संस्थान में संस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संस्थान में उनके द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों को हिन्दी भाषा में करने के लिए संस्थान की राजभाषा हिन्दी की प्रगति रिपोर्ट को तैयार करने में संस्थान के एकांशों एवं अनुभागों में राजभाषा हिन्दी में कार्य करने में अनेकों प्रकार की कठिनाईयों से रूबरू होना पड़ता है, उनमें से महत्वपूर्ण है कि राजभाषा नीति क्या है और उसका अनुपालन कैसे किया जाए। संस्थान के कार्य निष्पादन में राजभाषा नीति क्या है और उसका अनुपालन में महसूस होने वाली कठिनाईयों के समाधान के लिए इस हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

हिन्दी प्रकोष्ठ के प्रभारी डॉ. वेद प्रकाश, सहायक निदेशक हिन्दी कार्यशाला कार्यक्रम की मेजबानी करते हुए

हिन्दी कार्यशाला कार्यक्रम में ऑनलाईन रूप से जुड़े हिन्दी कार्यशाला में व्याख्याता और नराकास दक्षिण दिल्ली–2 के सदस्य कार्यालयों के प्रतिनिधि

राजभाषा नीति और संस्थान में उसके अनुपालन करने से जुड़े संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यों, सभी उप निदेशकों; तथा सभी सहायक निदेशकों को इस हिन्दी कार्यशाला में भाग लेने के लिए नामित किया गया। नीति आयोग के हिन्दी अनुभाग के परामर्शदाता (राजभाषा) श्रीमान् सूरज प्रकाश बडगूजर जी को इस हिन्दी कार्यशाला कार्यक्रम में ऑनलाईन रूप से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया गया।

हिन्दी कार्यशाला के व्याख्यान को सुनते हुए संस्थान के अधिकारी एवं कर्मचारी

हिन्दी कार्यशाला में उपस्थित संस्थान के अधिकारी एवं कर्मचारी

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति दक्षिण दिल्ली–2 के निदेशानुसार सभी सदस्य कार्यालयों का भी इस हिन्दी कार्यशाला कार्यक्रम में ऑनलाईन रूप से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया गया।

इस हिन्दी कार्यशाला में व्याख्यान देने के लिए विशेष रूप से राजभाषा नीति और राजभाषा कार्यान्वयन में 37 वर्षों के अनुभवी डॉ. राजबीर सिंह, सेवानिवृत्त समूह महा प्रबन्धक (राजभाषा), एन एच पी सी, भारत सरकार नई दिल्ली को आमंत्रित किया गया। इस हिन्दी कार्यशाला कार्यक्रम की मेजबानी हिन्दी प्रकोष्ठ के प्रभारी डॉ. वेद प्रकाश, सहायक निदेशक द्वारा की गयी।

हिन्दी कार्यशाला कार्यक्रम में ऑनलाईन रूप से जुड़े हिन्दी कार्यशाला में व्याख्यान देते व्याख्याता

हिन्दी कार्यशाला कार्यक्रम में ऑनलाईन रूप से जुड़े नराकास दक्षिण दिल्ली–2 के सदस्य कार्यालयों के प्रतिनिधि

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में उपस्थिति

नियमानुसार संस्थान की सितम्बर, 2025 को समाप्त छमाही की राजभाषा हिन्दी की प्रगति रिपोर्ट को निर्धारित प्रोफार्मा में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) दक्षिण दिल्ली–2 को उपलब्ध कराया गया। राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार गठित उक्त नराकास की छठी बैठक महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण, मुख्य कार्यालय/ अध्यक्ष, नराकास दक्षिण दिल्ली–2 की अध्यक्षता में दिनांक 30–12–2025 को अपराह्न 3.30 बजे विज्ञान भवन के सभागार संख्या–5 में आयोजित की गयी जिसमें डॉ. वेद प्रकाश, सहायक निदेशक, एवं प्रभारी (हिन्दी प्रकोष्ठ) उपस्थित हुए।

नराकास में बैठक में उपस्थित डॉ. वेद प्रकाश, सहायक निदेशक, एवं प्रभारी (हिन्दी प्रकोष्ठ)

नराकास सदस्य कार्यालयों की राजभाषा हिन्दी की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए श्री कुमार पाल शर्मा, संयुक्त निदेशक, राजभाषा विभाग

डॉ. वेद प्रकाश, सहायक निदेशक, एवं प्रभारी (हिन्दी प्रकोष्ठ)

संस्थान की हिन्दी प्रकोष्ठ द्वारा जारी किए जाने वाले इस अर्द्ध वार्षिक हिन्दी बुलेटिन में अपने स्वःलिखित ज्ञानवर्धक लेख, स्वःरचित कविताएं, आदि, छपवाने के लिए संस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से यह अनुरोध किया जाता है कि वह अपने स्वःलिखित ज्ञानवर्धक लेख, स्वःरचित कविताएं, आदि, को हिन्दी में टाईप करके हिन्दी प्रकोष्ठ में भिजवा सकते हैं।